

11.2.19

ग्राम पंचायत सदस्यीयता का कार्ड नं 1362-2-19
 को मन्त्रालय पत्र सं 7549 दि. 6-2-19 में
 द्वारा प्राप्त श्री प्रियवामपुरा ग्राम मुखी के द्वारा म.
 74 अमावसी 2073-76. अध्यादेशित और
 सुदृष्टि निर्णय आने का पत्र होने पर ग्राम पंचायत
 1362-2-Act को लटका देने से निराश्रित किया
 जाया ग्राम पंचायत का मुख्यालय किया व
 प्राच्यत इलाका व सदस्यीयता द्वारा सीमा
 अनुसंधान से परीक्षण किया गया तो ग्राम
 श्री प्रियवामपुरा ग्राम मुखी और अमावसी/समाव
 2073-76 के (वाला) म. 74 के क्र. नं. 395/568
 संख्या 0-035 के द्वारा प्राप्त हुई है जो
 नसबों में हुई 365/568, 366/569 का गल
 सामान्य कर्दाकार म. 2071-74 के (वाला)
 म. 33 में सामान्य रूप से पर सजाय नसबों
 में क्र. नं. 365/568 से क्र. नं. 395/568)
 व 366/569 हुई किया गया रुचित
 समझते हैं। कतः ग्राम पंचायत सीमा किया
 जाकर ग्राम श्री प्रियवामपुरा ग्राम मुखी म.
 अमावसी के (वाला) म. 74 के (वाला)
 365/568 से क्र. नं. 395/568 व 396/569
 366/569 का क्र. नं. 396/569 हुई
 निर्णय आने से निराश्रित निर्णय आने है
 व इसी क्र. नं. सुदृष्टि सजाय से म. 33 में
 का आदेश/प्रमाणिका के निर्णय से सामान्य
 एव अथवा आगत इलाका इलाका है।

उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड चाकर, (सियपुर)